C8 M 152

(23)

न्यायालयः माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /२००६ पुनरीक्षण.

R 1687-II /2006

राघवेन्द्रप्रसाद बरुआ पुत्र श्री शिवनारायण बरुआ, निवासी ग्राम बरैाद, तेहसील मेहगांव, जिला भिण्ड --- आवेदक

बनाम

१) महावीर प्रसाद बरुआ पुत्र स्व० श्री असर्फीलाल आयु ६६ वर्ष, व्यवसाय चिकित्सक, निवासी ग्राम बरेहद, तेहसील मेहगांव, जिला भिण्ड हाल एम०आई०जी० ९७६ माधव नगर, लश्कर ग्वालियर

२) शिवनारायण बरुआ पुत्र स्व० श्री असर्फीलाल बरुआ, आयु ५० वर्ष, निवासी ग्राम बरेहद, हाल निवासी सेन्ट्रल साइकल स्टोर के ऊपर सराफा बाजार, लश्कर ग्वालियर

------ अनावेदकगण.

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा ५० म०प्र० भू-राजस्व संहिता १९५९ बनाराजी आदेश दिनांक १०-८-०६ बइजलाश श्रीमान् अपर आयुक्त महोदय, चंबल संभाग, मुरैना, प्रकरणक्रमांक ९८/२००५-०६ निगरानी बउनवान महावीरप्रसाद बनाम राघवेन्द्रप्रसाद आदि में पारित आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत है ।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से पुनरीक्षण निम्नलिखित प्रस्तुत है-

संक्षिप्त तथ्य :

(अ) यहकि, ग्राम बरेहद तेहसील मेहगांव, जिला भिण्ड में स्थित

—२

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

अनुवृति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक 1687-दो/2006 निगरानी जिला भिण्ड

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अभि0 के हस्ता.
6-4-16	अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण क्रमांक 98/2005-06 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 10-8-2006 के विरूद्व यह निगरानी म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ आवेदक के अभिभाषक श्री ए.के.अग्रवाल तथा अनावेदक क्र-1 के अभिभाषक श्री एस.के.अवस्थी को पूर्व पेशी पर सुना जा चुका है। अनावेदक क्र-1 एंव 2 भाई भाई है जिसके कारण उभय पक्ष के अभिभाषक अंतिम तर्क करने हेतु सहमत हुये। 3/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से स्थिति यह है कि ग्राम बरहद स्थित कुल किता 18 कुल भूमि 15.98 है. के महावीर प्रसाद, शिवनारायण एंव महिला रामदुलारी भूमिस्वामी रहे हैं। महिला रामदुलारी ने अपने हिस्से की भूमि की बसीयत राधवेन्द्र प्रसाद को कर दी, जिसके आधार पर नामान्तरण की मांग की गई। तहसील न्यायालय में प्रकरण क्रमांक 17/01-02 अ-6 पंजीबद्व होकर पारित आदेश दिनांक 10-9-2002 से बसीयतग्रहीता का नामान्तरण किया गया। इस आदेश के विरूद्व अनावेदक क-1 ने अनुविभागीय अधिकारी मेहगॉव के समक्ष अपील क्रमांक 79/02-03 प्रस्तुत करने पर अंतरिम आदेश दिनांक 3-11-03 से अवधि विधान की धारा -5 का आवेदन स्वीकार कर प्रकरण अंतिम तर्क हेतु	

नियत किया गया। इस आदेश के विरूद्ध राघवेन्द्र ने अपर कलेक्टर भिण्ड के यहां निगरानी कमांक 8/03–04 प्रस्तुत करने पर आदेश दिनांक 23–3–04 से अनुविभागीय अधिकारी मेहगॉव का आदेश दिनांक 3–11–03 निरस्त किया गया। अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष निगरानी कमांक 98/2005–06 निगरानी प्रस्तुत होने पर आदेश दिनांक 10–8–2006 से अपर कलेक्टर का आदेश दिनांक 23–3–04 निरस्त किया गया। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को के कम में एंव उपरोक्त वर्णित तथ्यों के प्रकाश में यह देखना है कि क्या अनुविभागीय अधिकारी ने अवधि विधान की धारा–5 का आवेदन अंतरिम आदेश दिनांक दि. 3–11–03 से स्वीकार करने में त्रृटि की है अथवा नहीं ? तहसील न्यायालय के आदेश दिनांक 10–9–2002 के विरूद्ध अनुविभागीय अधकारी के समक्ष वर्ष 02–03 में अपील प्रस्तुत हुई है मात्र कुछ माह के विलम्ब से अपील है।

1. **भू राजस्व संहिता, 1959 म0प्र0 – धारा–47 आदेश की सॅसूचना नहीं दी गई – आदेश की जानकारी होने के दिनांक से परसीमा की गणना की जायेगी।**
2. **म0प्र0राज्य तथा अन्य एक विरूद्ध श्रीमती पुष्पादेवी 2006 रा.नि. 156 का न्यायिक दृष्टांत इस प्रकार है :–**
   परिसीमा अधिनियम 1963 धारा–5 – राज्य कानूनी निकाय है – इसके कार्यकलाप अनेक अधिकारियों व्दारा प्रबंधित किये जाते हैं – विलम्ब उदारतापूर्वक माफ किया जाना चाहिये – मामला गुणागुण पर विनिश्चत किया जाना चाहिये। (ए. आई.आर. 1996 एस.सी. 2882 से अनुसरित)

Xxxix(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

अनुवृति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक 1687-दो/2006 निगरानी जिला भिण्ड

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंट अभि0 के हस्ता.
	उपरोक्त से स्पष्ट है कि विद्वान अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना ने प्रकरण कमांक 98/2005-06 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 10-8-2006 से अपर कलेक्टर भिण्ड व्दारा निगरानी प्रकरण कमांक 8/03-04 में पारित आदेश दिनांक 23-3-04 को निरस्त करने में किसी प्रकार की त्रृटि नहीं की है। 5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है। फलतः अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 98/2005-06 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 10-8-2006 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाता है। प्रकरण के अवलोकन से पाया गया कि विचाराधीन मामला मूल न्यायालय में वर्ष 01-02 से पंजीबद्ध होकर पक्षकार वर्ष 1016 तक न्याय से बचित चले आ रहे हैं अतः अनुविभागीय अधिकारी मेहगॉव को आदेश दिये जाते हैं कि वह हितबद्ध पक्षकारों को श्रवण कर अपील प्रकरण का अंतिम निराकरण तीन माह की अवधि में करें। सदस्य	